न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट गढी)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 67 / 18 निर्णय दिनांक : 01.05.2018

उनवान

1. शौकत अली पुत्र चाहत खां जाति मेव निवासी रिंगस बास गढी तह0 रामगढ जिला अलवर।

..........................वादी

बनाम

1. चाहत खां पुत्र दलमीरा,
2. अरसद पुत्र चाहत,
3. शब्बीर पुत्र चाहत,
4. सद्दाम पुत्र चाहत,
5. मकसूदन पत्नी चाहत,
6. मनीषा पत्नी शब्बीर जाति मेव निवासियान रिंगस बास गढी तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

....................तकमीली प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम गढी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वादी की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी वक्त खरीद से आज तक बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और वादी के अलावा अन्य किसी दीगर सख्स का कोई हक व हिस्सा नही है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण वादी की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। तथा वादी को जबरन बेदखल करना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वोह विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम गढी तहसील रामगढ जिला

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

अलवर में स्थित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में फसल बोने व काटने व समेटने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे व अपना जबरन कब्जा न करे व इस आराजी के किसी भी भाग में जबरन नींव आदि खोदकर कोई निर्माण कार्य न करें व वादी को जबरन बेदखल न करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गढी में दिनांक 01.05. 2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट गढी में दिनांक 01.05.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के आधार पर वादी खातेदार है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी की विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम गढी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में फसल बोने व काटने व समेटने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे व अपना जबरन कब्जा न करे व इस आराजी के किसी भी भाग में जबरन नींव आदि खोदकर कोई निर्माण कार्य न करें व वादी को जबरन बेदखल न करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत गढी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट गढी)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 67 / 18 निर्णय दिनांक : 01.05.2018

उनवान

1. **शौकत अली पुत्र चाहत खां जाति मेव निवासी रिंगस बास गढी तह0 रामगढ जिला अलवर।**

..............................वादी

बनाम

1. **चाहत खां पुत्र दलमीरा,**
2. **अरसद पुत्र चाहत,**
3. **शब्बीर पुत्र चाहत,**
4. **सद्दाम पुत्र चाहत,**
5. **मकसूदन पत्नी चाहत,**
6. **मनीषा पत्नी शब्बीर जाति मेव निवासियान रिंगस बास गढी तहसील रामगढ जिला अलवर।**

.... प्रतिवादीगण

7. **राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।**

.....................तकमीली प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी की विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम गढी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में फसल बोने व काटने व समेटने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे व अपना जबरन कब्जा न करे व इस आराजी के किसी भी भाग में जबरन नींव आदि खोदकर कोई निर्माण कार्य न करें व वादी को जबरन बेदखल न करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)